# कचरा निस्तारण में फेल जयपुर ग्रेटर समेत तमाम नगरीय निकायों पर लगेगा जुर्माना

## एन.जी.टी. ने हर्जाना तय करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जयपुर कलक्टर को जिम्मेदारी सौंपी

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर** । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन.जी.टी.) ने डंपिंग यार्ड पर जमा कचरे का निस्तारण नहीं करने पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम समेत राज्य के सभी नगरीय निकायों को तय जुर्माना राशि अदा करने का आदेश दिया है। करोड़ों रुपये की इस हर्जाने राशि की गणना राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और जिला कलक्टर जयपुर करेंगे।

अगर देखा जाए तो अकेले जयपुर नगर निगम पर अब तक करीब सवा 4 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना बनता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस भारी भरकम जुर्माने के लिए आखिर कौन उत्तरदायी है, क्योंकि स्वायत्त शासन विभाग में कार्यरत अधिशाषी अभियंता ओ.पी.काला. के पास "लिजेसी वेस्ट" के निस्तारण की जिम्मेदारी है। इन्होंने ही जनवरी 2023 से लेकर अब तक करीब 316 करोड़ रुपये के कचरा निस्तारण के टैंडर राजस्थान की छोटी-बड़ी नगरपालिकाओं में किए हैं। कचरा निस्तारण की कछुआ चाल से काम कर रही निजी कंपनियों पर कार्रवाई के बजाय ओ.पी.काला. इन कंपनियों की तरफदारी करने में जुटे हैं।

दरअसल, सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2016 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सभी नगरीय निकायों को डंपिंग यार्ड पर जमा "कचरे के पहाड़" (लिगेसी वेस्ट) को तय समयावधि में निस्तारित करने (हटाने) के लिए कहा था, लेकिन अब तक यह काम नहीं हो सका है। इसलिए एन.जी.टी. के सेंट्रल जोन भोपाल कोर्ट ने अजमेर निवासी अशोक मलिक बनाम

हरमाड़ा के नजदीक सेवापुरा डंपिंग यार्ड पर लगा हुआ कचरे का पहाड़।

कमिश्नर, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के मामले में आदेश सुनाते हुए यह जुर्माना लगाया है।

परिवादी ने याचिका में बताया कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम, कचरा निस्तारण में पूरी तरह से फेल रहा है। यहां पर कचरे को उठाने से लेकर डंप करने और निस्तारण का कार्य समय पर नहीं किया गया है। नियमों के मुताबिक कचरा निस्तारण नहीं करने पर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए 10 लाख रुपए, पांच से 10 लाख के बीच आबादी के लिए प्रति स्थानीय निकाय को 5 लाख रुपए और अन्य निकायों को 1 लाख रुपए प्रति माह जुर्माने का प्रावधान है। यदि इससे निकायों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

एन.जी.टी. ने अपने फैसले में कचरा निस्तारण नहीं करने वाले निकायों के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। उनकी ए.सी.आर. में नेगेटिव रिपोर्ट के लिए कहा गया है।

ज्ञात रहे कि जयपुर समेत राजस्थान के तमाम छोटे-बड़े शहरों में डंपिंग यार्ड पर जमा कचरे (लिजेसी वेस्ट) का निस्तारण करना था, लेकिन स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों की नींद देरी से खुली। इन अधिकारियों ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जनवरी-2023 में प्रदेश की तमाम नगरीय निकायों का अलग-अलग क्लस्टर बनाकर टैंडर किए, और अपनी जिम्मेदारी निजी कंपनियों के माथे पर थोप दी।

स्वच्छ भारत मिशन (अरबन) 2.0 की गाइडलाइन के मुताबिक, सभी नगरीय निकायों को पुराने कचरे का निस्तारण मार्च-2024 तक करना है, लेकिन राजधानी जयपुर में मैसर्स सौराष्ट्र एन्वायरो कंपनी यह कार्य अब तक 20 फीसदी भी पूरा नहीं कर पाई है। बहरहाल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिए हैं कि सभी निकायों को तय अवधि में कचरे का निस्तारण करना है, ऐसा नहीं करने पर उन्हें तय मुआवजा अदा करना पडेगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल इसके लिए स्वतंत्र कार्रवाई करेगा।

- **आदेश के मुताबिक 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर 10 लाख रुपए, पांच से 10 लाख के बीच आबादी वाले शहरों पर 5 लाख रुपए और अन्य छोटी निकायों पर 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से जुर्माना लगेगा**
- **ज्ञात रहे कि स्वायत्त शासन निदेशक हृदयेश शर्मा और अधिशाषी अभियंता ओ.पी.काला ने प्रदेशभर की तमाम निकायों के कचरा निस्तारण के चार टैंडर जनवरी-2023 और एक टैंडर 22 सितंबर 2023 को दिया, इन दोनों अफसरों की लेटलतीफी के कारण यह काम देरी से शुरू हुआ**

अब सवाल यह उठता है कि स्वायत्त शासन निदेशक हृदयेश शर्मा और अधिशाषी अभियंता ओ.पी.काला ने कचरा निस्तारण के टैंडर में देरी क्यों की, अब जो जुर्माना जयपुर ग्रेटर नगर निगम समेत तमाम नगरीय निकायों पर लगेगा, उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? ज्ञात रहे कि इन दोनों अधिकारियों ने जनवरी में मैसर्स आकांक्षा एंटरप्राइजेज, मैसर्स डी.एच.पटेल और मैसर्स सौराष्ट्र एन्वायरो प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को जयपुर-जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर व बीकानेर जैसे बड़े शहरों के कचरे के निस्तारण का ठेका दिया, यह टैंडर 300 से 400 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर दिया गया। इसके बाद गत 22 सितंबर 2023 को करीब 117 छोटे शहरों में कचरे निस्तारण का ठेका मैसर्स एम.के.जी. कम्प्यूटर्स को 550 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर दिया गया, जो कि 126 करोड़ 43 लाख रुपये का था।

यह कीमतें बढ़ने का सीधा कारण यह था कि मार्च-2024 तक स्वच्छ भारत मिशन (अरबन) 2.0 की गाइडलाइन के मुताबिक लिजेसी वेस्ट का निस्तारण (पुराने कचरे का निस्तारण) करना है। अब यक्ष प्रश्न यह है कि देरी से हुए इस टैंडर के कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की जो चपत लगी, और अब एन.जी.टी. द्वारा करोड़ों रुपये का जुर्माना लगने वाला है, उसका जिम्मेदार कौन है। अगर यही काम इन नगर पालिकाओं के जिम्मे करवाई जाती तो यह दर 550 रु. के बजाय काफी कम आती। ऐसे में यह साफ तौर पर माना जा रहा है कि स्वायत्त शासन विभाग के अफसरों ने अपनी नाकामी और टैंडर प्रक्रिया में देरी को छिपाने के लिए महंगी दरों पर निजी कंपनियों को काम दे दिया।

# 30 लाख रु. का 200 किलो डोडा-चूरा जब्त

## सी.एस.टी. टीम ने 55 किलो 260 ग्राम गांजे के साथ तस्कर दबोचा

सांगानेर सदर पुलिस ने रविवार को 200 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा और कार के साथ शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया।

**जयपुर** (कासं)। सांगानेर सदर पुलिस ने "ऑपरेशन क्लीन स्वीप" अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ से भरी एक लग्जरी कार को जब्त कर 200 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडा-चुरा बरामद किया है। जिसकी बाजार कीमत 30 लाख रुपये बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि तस्करी करने वाले दो तस्कर पुलिस को देख जंगल के रास्ते से फरार हो गए। जिनको तलाश किया जा रहा है। पुलिस उपायुक्त जयपुर दक्षिण योगेश गोयल ने बताया कि सांगानेर थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए दौ सौ किलों अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा से भरी एक चौपहिया वाहन को सीताराम टोल प्लाजा के पास से जब्त किया गया है।

वहीं दूसरी ओर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) ने ऑपरेशन "क्लीन स्वीप" के तहत ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ थाना रेनवाल जयपुर ग्रामीण में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले तस्कर भोलूराम उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से 55 किलो 260 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं बिक्री राशि 1 लाख 9 हजार 900 रुपये भी बरामद किए गए है। गिरफ्तार आरोपित भोलूराम उर्फ बंटी एवं अन्य साथी बडे पैडलर है जो छोटे-छोटे पैडलरों को अवैध मादक पदार्थ गांजा की सप्लाई करते है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार आरोपित भोलूराम उर्फ बन्टी अवैध मादक पदार्थ गांजा का बड़ा पैडलर है। आरोपित को एक स्वीफ्ट कार में तीन व्यक्ति महेन्द्र ताखर, सुरेन्द्र एवं कमलेश आये थे और उसे यह अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने के लिये देकर गये थे। आरोपित स्वंय और महेन्द्र ताखर, सुरेन्द्र एवं कमलेश मिलकर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी अलग-अलग स्थानों से करते है। जिसके लिये रेनवाल में एक गोदाम बना रखा है। गोदाम से 10-15 किलो गांजा की तस्करी छोटे-छोटे पैडलरों को बेचने के लिये देते है, जो जयपुर शहर में सप्लाई करते है। गिरफ्तार आरोपित से अवैध मादक पदार्थ गांजा के सप्लायर एवं खरीददार के नेटवर्क के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

# घोड़े पर सवार शिवाजी की पहली प्रतिमा मुंबई में जल्द होगी स्थापित

**जयपुर** (कासं)। धातु के विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार जयपुर निवासी राजकुमार पंडित द्वारा करीब 2 साल में तैयार की गई देश की पहली घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी सबसे बड़ी प्रतिमा इसी साल मुंबई में स्थापित की जाएगी। लगभग 12 टन वजनी इस मूर्ति को बनाने में 30 कारीगरों की कड़ी मेहनत का परिणाम है कि घोड़े पर सवार शिवाजी की देश में सबसे बड़ी मूर्ति होगी।

इसके अलावा राजकुमार पंडित द्वारा जयपुर के आकेड़ा डूंगर में 108 फुट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति भी बनाई जा रही है, जिसका वजन करीब 40 टन होगा। यह मूर्ति उतरप्रदेश में स्थापित होगी। साथ ही जयपुर में ही रामायण का लेखन करते हुए स्वामी तुलसीदास की 12 फुट की बैठक मुद्रा में मूर्ति बनाई जा रही है, जो कि यूपी के चित्रकूट जिले में लगेगी। अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी देते हुए राजकुमार पंडित ने बताया कि यूपी के कानपुर देहात में रानी लक्ष्मीबाई, आगरा में महाराजा सूरजमल व हाथरस जिले में स्वतंत्रता सेनानी मलखान सिंह की 12-12 फीट की धातु से बनीं मूर्तियां लगाई जाएंगी। इनका निर्माण राजकुमार पंडित व उनकी 30 सदस्यीय टीम कर रही है।

ज्ञात रहे कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के कई पॉपुलर लीडर की मेटल स्टैच्यू बनाने वाले राजकुमार पंडित ने जीवन की विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अपने हुनर की चमक पूरी दुनिया में बिखेरी है। राजकुमार पंडित को 18 देशों से धातु की मूर्तियों के प्रोजेक्ट मिले हैं। अमेरिका में अरबपति चार्ली मुंगर और अरबपति बिजनेसमैन वारेन वफेट की 10-10 मूर्तियां बनाकर भेजने के बाद अब इन दोनों की 10-10 और मूर्तियां बनाने का दुबारा आर्डर मिला है। ये मूर्तियां इनके 10 देशों में संचालित कार्यालयों में लगेंगी। यही नहीं धातु की मूर्तियों में प्रसिद्ध इटली जैसे देश में भी राजकुमार पंडित की कला के मुरीद हैं। इन्होंने इटली में धातु की मूर्तियां बनाकर भेजी हैं।

ज्ञात रहे कि राजस्थान सहित देश के अलग-अलग हिस्सों में उनकी बनाई गई स्टैच्यू लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। राजस्थान विधानसभा का अशोक

स्तंभ, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर अर्जुन की प्रतिमा, घोड़े पर विराजमान छत्रपति शिवाजी, जयपुर का ही पीकॉक गार्डन, कोटा में पंडित जवाहरलाल नेहरू का 42 फीट का मास्क सहित अनेक उपलब्धियां इनके खाते में हैं। मूर्तिकार राजकुमार पंडित अब सबसे ऊंची मूर्ति भगवान परशुराम की बना रहे हैं, जिसकी ऊंचाई 108 फीट की है। यह मूर्ति लखनऊ में लगेगी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लखनऊ, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम के बाहर अर्जुन की मूर्ति, घोड़े पर विराजमान छत्रपति शिवाजी, भारत माता, शहीद-ए-आजम भगत, राजगुरु, सुखदेव, बप्पा रावल, राणा पूंजा, डॉ. बीआर अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, महाराणा प्रताप, वीर सावरकर, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य की मूर्तियां राजकुमार ने ही बनाई हैं।

ज्ञात रहे कि कोटा में लगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का 42 फीट का मास्क विश्व का सबसे बड़ा है। इसके अलावा कोटा में ही 45 फीट का फाउंटेन, 18 फीट की स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, 12 फीट की महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल की समूह चर्चा की मुद्रा में मूर्तियां स्थापित की हैं।

## बदमाशों के 411 ठिकानों पर दबिश, 101 गिरफ्तार

**जयपुर** । जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए सोने की चेन, पर्स व मोबाइल स्नैचिंग के चालानशुदा 411 बदमाशों के ठिकानों पर रविवार सुबह 5 बजे एक साथ दबिश दी गई। पुलिस ने कार्रवाई में करते हुए 101 बदमाशों को गिरफ्तार किया। कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि इस दौरान 121 स्थाई वारंटियों को पकडकर वारंटो को निस्तारण करवाया। उन्होंने बताया एडिशनल कमिश्नर कैलाश बिश्नोई के निगरानी और सभी जिला डीसीपी के नेतृत्व में 2200 पुलिसकर्मियों ने सुबह 5 बजे सभी बदमाशों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी। पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी गई, ताकि बदमाशों को कार्रवाई की भनक लगने पर भागने का मौका नहीं मिल सके।

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चुनावों के साथ त्योहारी सीजन है। धीरे-धीरे अब बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। सोने की चेन, पर्स व मोबाइल स्नैचरों से आमजन को सुरक्षित रखने के लिए यह कार्रवाई की गई। ऐसे बदमाशों को गोपनीय रूप से चिह्नित किया गया, जो वांटेड चल रहे थे। इन बदमाशों के छिपने के ठिकानों को भी चिह्नित किया गया। सबसे अधिक उत्तर क्षेत्र में 199 स्थानों पर दबिश दी गई।

कमिश्नरेट पूर्व में 63 जगह, पश्चिम में 88 जगह, उत्तर में 199 और दक्षिण क्षेत्र के 61 स्थानों पर दबिश की कार्रवाई की गई।

# हवालात में बंद हिस्ट्रीशीटर ने सुसाइड का प्रयास किया

## जयपुर के सोड़ाला थाने का मामला

- **हिस्ट्रीशीटर ने रात को हवालात में ओढ़ने के लिए दिए कंबल को दांतों से फाड़कर फंदा बना लिया।**
- **संतरी ने उसे सुसाइड का प्रयास करते हुए देख लिया और अन्य पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई, जिस पर उन्होंने दौड़कर उसे बचा लिया।**
- **आरोपी ने कहा कि उसने इतने अपराध किए हैं, जिससे उसका छुटकारा नहीं होगा, वह जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, इसलिए मरना चाहता है।**

**जयपुर** । सोडाला थाने में बंद एक हिस्ट्रीशीटर ने सुसाइड का प्रसास किया। हिस्ट्रीशीटर ने रात को हवालात में ओढ़ने के लिए दिए कंबल को दांतों से फाड़कर फंदा बना लिया। इस दौरान एक संतरी ने उसको देखा तो अन्य पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उसे बचा लिया। पुलिसकर्मियों के बचाने पर आरोपी ने कहा कि उसने इतने अपराध किए हैं, जिससे उसका छुटकारा नहीं होगा। वह जिंदगी से परेशान हो चुका हूं, इसलिए मरना चाहता है। पुलिस ने आरोपी हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उसका मेडिकल करवाकर अदालत में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि दीपक बिहारी उर्फ दीपक राय (25) पुत्र ब्रिजलाल निवासी आजाद नगर राकड़ी सोडाला हिस्ट्रीशीटर है। हाईकोर्ट से जारी गिरफ्तारी वारंट पर 3 नवंबर की रात करीब 8 बजे उसे घर से हिरासत में लेकर थाने के हवालात में रखा था। रात में ठंड होने के कारण बिछाने और ओढ़ने के लिए कंबल दिया था। रात को दीपक ने कंबल को दांतों से फाड़ लिया और हवालात के सरियों से कंबल का फंदा बनाकर सुसाइड करने की कोशिश की। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात संतरी रविन्द्र ने उसको देख लिया और अन्य पुलिसकर्मियों को आवाज लगाई। इस पर थाने में मौजूद साथी पुलिसकर्मियों दौड़कर पहुंचे और दीपक को फंदे से उतारकर हवालात से बाहर निकाला। पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाया और इसके बाद उसे अदालत मे पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 14 मुकदमें दर्ज है। इनमें सोडाला और श्याम नगर में हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, आबकारी व आर्म्स एक्ट के मामले शामिल है।

## सार-समाचार

### नकबजन से सोने-चांदी के जेवर बरामद

**जयपुर** । आदर्श नगर थाना पुलिस ने शातिर नकबजन को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराए हुए सोने चांदी के जेवर बरामद किए है। डीसीपी (पूर्व) ज्ञानचंद यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शंकर लाल नायक दीपक मार्ग मोतीडूंगरी का रहने वाला हैं। डीसीपी ने बताया कि 2 नवंबर को परिवादी राकेश कुमार टेलर ने मामला दर्ज करवाया। जिसमें बताया कि 1 नवंबर को उसके घर परिवार में कोई नहीं था। वहां पर चार पांच किराएदार रहते है। वह और उसकी पत्नी काम से बाहर गए थे। साम को मकान पर पहुंचे। पत्नी ने करवाचौथ की पूजा के लिए जेवर संभाल तो बक्शे का ताला टूटा हुआ था और अंदर रखे जेवर गायब थे। इस पर एसीपी रणवीर सिंह, थानाप्रभारी कमल नयन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर लाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से चुराया हुआ सोने का गले का हार, मंगल सूत्र, अंगूठियां, कानों के टॉप्स, माथे का टीका, नाक की नथ, चांदी की कनकती, पायजेब, बिछिया, कड़े और सिक्के बरामद किए। पुलिस ने बताया कि आरोपी शंकर लाल नायक परिवादी के गांव का रहने वाला है। उसका परिवादी के घर आना जाना है। आरोपी परिवादी के 13 साल के नाबालिग पुत्र से घर में रखे जेवरात रखने के स्थान के बारे में जानकारी जुटाकर वारदात को अंजाम दिया।

### ईडी उपनिदेशक व ईओ पर एफआईआर

**जयपुर** । एसीबी ने मणिपुर के इंफाल में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उपनिदेशक एम. शिबानंद और प्रवर्तन अधिकारी हिमांशु गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एसीबी ने यह मामला हाल ही में 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में ईडी के ईओ नवल किशोर मीणा की गिरफ्तारी के बाद उनके मोबाइल में मिली वाट्सएप चैट के आधार पर किया है। सूत्रों के मुताबिक वाट्सएप चैट के परीक्षण से प्रवर्तन अधिकारी हिमांशु गौतम की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जबकि उपनिदेशक एम. शिबानंद चिटफंड प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी हैं। अनुसंधान के बाद ही दोनों अधिकारियों की रिश्वत प्रकरण में भूमिका स्पष्ट हो सकेगी। गौरतलब है कि एसीबी ने इंफाल ईडी के ईओ नवल किशोर मीणा व खैरथल के मण्डावर पंजीयन विभाग के कनिष्ठ सहायक बाबूलाल मीणा को हरियाणा निवासी परिवादी से 15 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी नवल किशोर रिश्वत की राशि लेने इंफाल से जयपुर आया था और यहां आने के बाद परिवादी को रिश्वत की राशि अपने दोस्त बाबूलाल मीणा को नीमराना में दिलवाई थी। एसीबी ने भारतीय मुद्रा के 4 लाख रुपए और डमी करेंसी के 11 लाख रुपए आरोपियों को रिश्वत में दिलवाए थे।

### छात्रा ने मावठा में कूदकर जान दी

**जयपुर** । आमेर इलाके में चचेरे भाई-बहन से किसी बात को लेकर झगड़े से गुस्से में आकर एक छात्रा ने आमेर मावठा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमॉर्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस जानकारी में सामने आया कि भाई-बहन से झगड़ा होने पर वह घर से भाग कर चली गई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पडताल में जुटी है। पुलिस ने बताया कि मृतका सुमरन (15) पुत्री अजीत निवासी ठाठर रोड आमेर की रहने वाली थी और वह प्राइवेट स्कूल में 9वीं क्लास में स्टडी करती थी। जिसका शनिवार देर रात चचेरे भाई-बहन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। गुस्से में सुमरन घर छोड़कर दौड़ते हुए चली गई। घरवाले भी उसके पीछे-पीछे ढूंढने निकल गए, लेकिन सुमरन का पता नहीं चला। रात 1 बजे आमेर मावठा में निगरानी रख रहे मछली ठेकेदार ने पुलिस को सूचना दी कि एक लड़की दौड़ते हुए आई और आमेर मावठा में छलांग लगा दी। इस पर पुलिस ने तुरंत सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया। आमेर मावठा में उतरी सिविल डिफेंस टीम ने करीब सवा घंटे की मशक्कत कर सुमरन का शव पानी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आमेर सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया। पुलिस ने किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है।

### श्याम बाबा की भक्ति में झूमे श्रद्धालु

**जयपुर** । श्री श्याम सेवा संघ समिति, हसनपुरा के सैंतीसवा वार्षिक महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को दोपहर में सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए। सायंकाल हसनपुरा स्थित शान्तिनगर पार्क में भजन गायक कलाकारों ने ब्रह्म मुहूर्त तक श्याम बाबा का गुण गान किया। जहां एक और भजन गायक कलाकार बाबा के भजनों की प्रस्तुति दे रहे थे वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु भक्ति में भाव विभोर होकर अपने स्थान पर खडे होकर नृत्य कर रहे थे। संस्था के अनिल अग्रवाल एवं प्रचार मंत्री रवि गुप्ता ने बताया की विशाल पांडाल मे खाटूनरेश बाबा श्याम का विशाल एवं मनोहारी दरबार सजा। संस्था के अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस अवसर पर अष्टप्रहरी भजनामृत रस प्रवाह का आयोजन रखा गया है जिसमें राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन प्रवाहक अपनी सुमधुर वाणी से भजनों की प्रस्तुतियों दे रहे हैं। भजन गायक कलाकार हरमहेन्द्र पाल सिंह (रोमी) और रेशमी शर्मा (समस्तीपुर) ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओ का मन मोह लिया।

# सरकारी नजूल संपत्ति का पट्टा निरस्त करने के बजाय पीड़ित को दर-दर घुमा रहे अफसर

## हैरिटेज निगम प्रशासन ने "प्रशासन शहरों के संग" अभियान में जारी किया था पट्टा

**जयपुर** (कासं)। हैरिटेज नगर निगम के अफसरों ने "प्रशासन शहरों के संग" अभियान की आड़ में सरकारी संपत्तियों के पट्टे भी जारी कर दिया। ताजा मामला जौहरी बाजार के ताराचंद नायाब की गली में एक नजूल संपत्ति का पट्टा देने का सामने आया है। आयोजना शाखा के अफसरों ने 22 सितंबर 2022 को जारी हुए इस पट्टे को निरस्त करने के लिए संपदा निदेशालय ने भी हैरिटेज नगर निगम कमिश्नर को कई बार पत्र लिखे, लेकिन पट्टा निरस्त करने के बजाय अधिकारी चुप्पी साधे बैठे है। हालात ऐसे हैं कि नगर निगम के अधिकारी पीड़ित पक्षकार की शिकायत पर सुनवाई तक नहीं कर रहे, कभी उसे किशनपोल जोन भेजा जाता है तो कभी मुख्यालय। आयुक्त राजेन्द्र सिंह से लेकर जोन उपायुक्त से कई बार मिलने के बावजूद भी पीड़ित की सुनवाई कहीं नहीं हो रही।

जानकारी के मुताबिक राजकीय नजूल संपत्ति संख्या पी-15 चौकड़ी विश्वेश्वरजी, चांदपुर हाऊस नंबर 1415 ताराचंद नायाब की गली जौहरी बाजार का पट्टा 22 सितंबर 2022 को हैरिटेज नगर निगम प्रशासन ने जारी किया। नरेन्द्र कुमार जैन, प्रदीप जैन और विनीत जैन ने तथ्य छिपाते हुए पट्टा संख्या 585 जारी करवा लिया। नगर निगम के अधिकारियों ने भी ना तो मौका सर्वे किया और ना ही मौके पर बसे हुए परिवारजनों का कोई पक्ष सुना। जैसा इन तीनों लोगों ने कहा, उनकी बात मानते हुए पट्टा जारी भी कर दिया, जबकि पट्टा जारी होने से पूर्व ही पीड़ित पक्षकार नरेन्द्र सिंह नरूका ने नगर निगम के अफसरों को शिकायत भी कर दी थी।

संपदा निदेशक डॉ. आभा जैन ने 22 अगस्त 2023 को हैरिटेज नगर निगम को पत्र लिखकर नजूल संपत्ति के इस पट्टे को निरस्त करने के लिए कहा। पीड़ित पक्षकार भी आयुक्त राजेन्द्र सिंह से मिला, लेकिन उन्होंने जोन उपायुक्त से बात करने के लिए कहकर मामला टाल दिया। संपदा निदेशालय ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि नरेन्द्र कुमार जैन, प्रदीप जैन और विनीत जैन ने तथ्य छिपाते हुए नजूल संपत्ति का पट्टा संख्या 585 जारी करवाया है, जिसे तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि अतिक्रमी महेन्द्र सिंह और नरेन्द्र सिंह के विरूद्ध बेदखली के आदेश वर्ष 1964 में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर ने पारित किए थे, इसके बावजूद महेन्द्र सिंह व अन्य लोगों ने इस संपत्ति का अवैध बेचान इन पट्टा लेने वाले लोगों को कर दिया।

ज्ञात रहे कि इस मामले में हैरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर के विशिष्ठ सहायक उम्मेद सिंह ने भी 2 अगस्त 2023 को किशनपोल जोन उपायुक्त को पत्र लिखकर इस नजूल संपत्ति का पट्टा देने के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2023 को किशनपोल जोन के उपायुक्त ने नरेन्द्र, प्रदीप व विनीत जैन को नोटिस जारी किया था। जिसमें उन्होंने गलत तथ्य और झूठ शपथ पत्र पेश कर नजूल संपत्ति का पट्टा उठाने के मामले में 7 दिन में जवाब पेश करने को कहा था। इस पूरे प्रकरण में अब हैरिटेज नगर निगम के अधिकारी फाइल इधर-उधर घुमाने में लगे हुए है। पीड़ित पक्षकार नरेन्द्र सिंह नरूका ने बताया कि हैरिटेज नगर निगम के अधिकारियों ने कभी मौका निरीक्षण किया ही नहीं, पट्टे में जो पता दिया गया है, वह भी गलत है। नरेन्द्र, प्रदीप व विनीत जैन पर पूरी मेहरबानी दिखाते हुए नगर निगम के अधिकारियों ने पट्टा जारी किया।

- **संपदा निदेशालय ने हैरिटेज नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखकर इस नजूल संपत्ति का पट्टा निरस्त करने के लिए कहा था, इसके बावजूद जिम्मेदार अफसर फाइल को दबाए बैठे हैं।**
- **पीड़ित पक्षकार ने महापौर मुनेश गुर्जर, आयुक्त राजेन्द्र सिंह से लेकर जोन उपायुक्त के पास कई चक्कर काटे, लेकिन वह भी पीड़ित को इधर-उधर घुमाने में लगे हुए हैं।**

## पौने 2 लाख रु.के नकली नोट जब्त

**जयपुर** । पुलिस कमिश्नरेट की ईस्ट जिला स्पेशल टीम और सांगानेर थाना पुलिस ने नकली नोटों की सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 लाख 73 हजार रुपए के नकली नोट बरामद किए है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी सांगानेर इलाके में नकली नोटों को खपाने की तैयारी कर रहे थे। आरोपी इससे पहले भी दो बार नकली नोट खपा चुके है।

डीसीपी पूर्व ज्ञानचन्द यादव ने बताया कि 4 नवंबर को सांगानेर इलाके में नकली नोट चलाने की सूचना मिली। इस पर एडिशनल डीसीपी सुमन चौधरी, एसीपी विनोद शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 1 लाख 73 हजार 400 रुपए के नकली नोट बरामद कर लिए। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी विजय मालव (26) दिगोत कोटा हाल गली नम्बर तीन निवाई टोंक और भरत (29) शिवाड चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर हाल गली नम्बर तीन निवाई टोंक का रहने वाला हैं। थानाप्रभारी अमित कुमार ने बताया कि पकड़े गए सभी नोट दो-दो सौ रुपए के है। आरोपी विजय और भरत धोबी ने बताया कि वह इन रुपयों को शिव उर्फ शिवचरण सोनी निवाई से लेकर आए है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है।